

न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री जगदीश नारायण मथुरिया, आर. ए. एस.

अपील संख्या:- 35/2017 (76 एल .आर. एक्ट)

आरसीएमएस संख्या :- 2017/00158

उनवान

प्यारे पुत्र श्री बलवन्त कौम कुशवाह निवासी बलवन्त का अड्डा बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।
.....अपीलांट।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बाडी जिला धौलपुर राजस्थान।

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम विरुद्ध
आदेश न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक
08.02.2017 प्र.संख्या 95/2016 उनवानी प्यारे बनाम
सरकार।

अभिभाषकगण :-

1. वकील अपीलांट श्री देवी सिंह कुशवाह उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह उपस्थित।

निर्णय

दिनांक- 29.10.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 08.02.2017 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि तहसीलदार बाडी ने आराजी खसरा नम्बर 84 रकवा 02 बीघा 19 विस्वा पर अपीलाण्ट/अप्रार्थी को अतिक्रमी मानते हुये बेदखल करने शास्ति आरोपित करने एवं तीन माह की सिविल जेल का आदेश पारित किया। जिसके विरुद्ध अप्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर के समक्ष की गई। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा उक्त अपील, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2017 से खारिज कर दी। जिसके विरुद्ध यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में पेश की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क प्रस्तुत किए कि अपीलाण्ट विवादित आराजी पर करीब 40 वर्षों से यानि संवत 2033 से लगातार काबिज काश्त है

तथा फसल बोकर लाभ प्राप्त कर रहा है। अतः एडवर्स पजेशन के आधार पर अपीलान्ट स्वयं को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं अपने हक में नियमन की सिफारिश करा पाने का अधिकारी है। विवादित आराजी की किस्म बारानी दोयम है तथा राजस्थान सरकार के आदेशानुसार अपीलान्ट के हक में आवंटन किये जाने योग्य है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर ध्यान ना देकर, अपीलान्ट की अपील खारिज करने में भारी त्रुटि की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर, अपीलान्धीन आदेश को निरस्त कर, सिविल सजा को माफ किया जाकर, विवादित आराजी का अपीलान्ट के हक में नियमन किये जाने की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने जवाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित भूमि बारानी दोयम की भूमि है। जिस पर अपीलान्ट द्वारा अवैधानिक कब्जा किया गया है। अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि पर पूर्व में भी अतिक्रमण किया था इस बात की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित होती है। अतः अपीलान्ट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है एवं ऐसे पश्चात्वर्ती अतिक्रमी के खिलाफ सिविल जेल एवं शास्ति कायम करना उचित ही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच उपरान्त ही निर्णय पारित किया है, जिसमें कोई कानूनी भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।
5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलान्ट का प्रस्तुत अपील में प्रमुखता से कथन यह रहा है कि उनका विवादित आराजी पर करीब 40 वर्षों से यानि संवत् 2033 से लगातार कब्जा काश्त है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, धौलपुर ने विवादित आराजी के नियमन की सिफारिश नहीं की एवं ना ही सिविल जेल सजा को ही माफ किया। हमने दोनों अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियों का अध्ययन किया। विवादित भूमि बारानी दोयम की भूमि है, जिस पर अपीलान्ट का अतिक्रमण, स्वयं अपीलान्ट के अभिवचनों से प्रमाणित होता है। ऐसी स्थिति में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत कार्यवाही नियमानुसार की गई है। दौराने अपील भी कब्जे के आधार पर विवादित आराजी बाबत् नियमन के अनुतोष की प्रार्थना की गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट हल्का पटवारी से स्पष्ट जाहिर है कि अपीलान्ट विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदि है। सरकारी भूमि पर इस प्रकार अतिक्रमण करने से, अपीलान्ट दण्ड के दायित्व को नहीं टाल सकता है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाडी ने उचित रूप से पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर तीन माह की सिविल जेल आदेश एवं शास्ति आरोपित की है एवं प्रथम अपील भी उचित ही खारिज की गई है। जहाँ तक विवादित आराजी के नियमन का प्रश्न है। विवादित आराजी राजस्व अभिलेख में बारानी दोयम की सरकारी भूमि है, जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 अन्तर्गत गैर मुमकिन रास्ता एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि/आराजी का नियमन/आवण्टन किया जाना वर्जित रहता है। अतिक्रमी अपीलान्ट द्वारा अपने कथित स्वत्व का कोई स्त्रोत स्पष्ट नहीं किया गया है। अतः अपीलान्ट/अतिक्रमी को विवादित आराजी से बेदखली की प्रभावी कार्यवाही किया जाना उचित ही है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को कोई राहत दिया जाना सम्भव नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। लिहाजा हम अपील अपीलान्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश यथावत रखे जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे तथा बाद जाब्त दाखिल दफ्तर हो। दोनों अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावे।
7. निर्णय आज दिनांक 29.10.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश नारायण मथुरिया)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर